

विधानसभा अंतरागत प्रश्न संख्या 2104

माननीय उपप्रबंधक
श्री दिनेश कुमार अधिकारी



सदन में बिल दिनांक 05/12/17 पृष्ठ संख्या

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

1/2

क्रमांक 5444 / 2017 / तरिसठ

दिनांक 16 SEP 2017

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर ।
2. प्रबंध संचालक,
म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

CCOM (COM)

विषय- बिजली की बकाया राशि के कारण बंद ट्रांसफार्मर से बिलिंग के संबंध में दिशा-निर्देश।

किसी वितरण ट्रांसफार्मर के
(i) जलने/खराब होने या
(ii) शत प्रतिशत राशि बकाया होने से स्थल से हटाये जाने
के कारण उसे बदलने/पुनः स्थापित करने के पूर्व निर्धारित राशि का जमा किया जाना अनिवार्य है।
प्रचलित निर्देशों के अनुसार जल/खराब वितरण ट्रांसफार्मर से संबंध 75 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा गुगतान
करने अथवा कुल बकाया राशि का 40 प्रतिशत जमा होने पर उसे बदला जाता है।

2/ राज्य शासन के समक्ष यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ है कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) में उल्लेखित दोनों
परिस्थितियों में क्या उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय नहीं होने पर भी उस अवधि के लिए भी बिल दिया जाना
चाहिए ?

इस बिन्दु पर निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते हैं-

(क) उपरोक्त वर्णित दोनों परिस्थितियों में अगर विद्युत प्रदाय लगातार 10 दिनों या उससे अधिक अवधि के
लिए बंद रहता है, तो ऐसे मीटरयुक्त उपभोक्ता, जिन्होंने गुगतान में चूक नहीं की है, की बिलिंग इस
अवधि के लिए विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कडिका 11.3 के अनुसार की जाय। यह कडिका
निम्नानुसार है :-

कडिका 11.3 :-

'ऐसा उपभोक्ता, जो एक कैलेंडर माह के दौरान दस दिवस की निरन्तर अवधि के लिए
(जिसमें विद्युत प्रदाय में 00.00 से 24.00 बजे तक की कटौती की गई हो) या इससे अधिक अवधि हेतु
किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत अथवा चूककर्ता न हो तो, अनुज्ञापिधारी उपभोक्ता से निम्नानुसार विद्युत
प्रभार वसूल करेगा :-

- (अ) ऊर्जा प्रभारों की वसूली भाषयंत्र (मीटर) में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर की जाएगी।
- (ब) अन्य प्रभारों (विद्युत शुल्क और उपकरण को छोड़कर) की वसूली उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय
दिवस की संख्या के आधार पर अनुपातिक दर के अनुसार की जाएगी।

5444-17

20 KSAZ
11/12/17




-2-

सत्य प्रतिलिपि


उप महाप्रबंधक (कार्यभार डी.बी.)
म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
जबलपुर


विद्युत (समा) आगारा प्रित ५२० प्रोड 2104 ५२५-३५
२२

- यह सुविधा केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही प्रदान की जाएगी जिनके संयोजन मापयंत्रों से युक्त (Metered connections) हैं।
- (ख) यह और कि अन्य संबद्ध अमीटरीकृत उपभोक्ता, जिन्होंने भुगतान में चूक नहीं की हो, के लिए लगातार दस दिन या अधिक अवधि के लिए विद्युत प्रदाय बंद रहने पर ऐसी अवधि की बिलिंग निम्नानुसार की जाए -
- (अ) ऊर्जा प्रभार की बिलिंग : निर्धारित मासिक खपत (Norms) के अनुसार प्रयोज्य मासिक ऊर्जा प्रभार के विद्युत प्रदाय दिवस संख्या के आधार पर आनुपातिक राशि (Pro-rata amount) के अनुसार।
- (ब) अन्य प्रभार की बिलिंग : विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 11.3 (ब) के अनुसार।
- (ग) यह और भी, कि अन्य संबद्ध उपभोक्ता, जिन्होंने भुगतान में चूक की हो, की बिलिंग अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान प्रचलित दैनिक आदेश के प्रावधानों के अनुसार फिक्स्ड चार्ज, न्यूनतम प्रभार, मीटर किराया के लिए की जाए। ऐसे उपभोक्ता के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर यह जांच की जाये कि वह उसी जले/खराब ट्रांसफार्मर से संबद्ध था तथा ऐसा निश्चित होने के उपरांत ही उक्तानुसार बिलिंग की जाए।
- 3/ कृपया उक्तानुसार बिलिंग की व्यवस्था के लिए बिलिंग साफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किया जाए। साथ ही मैदानी स्तर से ट्रांसफार्मर खराब होने एवं उठाये जाने तथा पुनः स्थापित किए जाने की सूचना तत्परता से संबंधित को प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे कि बिलिंग अनावश्यक रूप से बंद न रहे एवं कंपनियों को कोई सज़रब हानि न हो।
- 4/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का मैदानी स्तर तक कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।


- (सुकबाल सिंह) -
उप-मुख्य सचिव
स.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

सत्य प्रतिलिपि


उप महाप्रबंधक (कार्य-ए डी वी)
स.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.दि.
जबलपुर


अनुभाग अधिकारी
स.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
संचालय, भांगल

अध्याय-11-विविध मामले (Miscellaneous)

आकस्मिक विशेष परिस्थितियाँ (Force Majeure)

- 11.1 विद्युत प्रदाय व्यवस्था के विफल हो जाने पर उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, अथवा क्षतिपूर्ति के लिये किये गये दावे के प्रति अनुज्ञापिधारी उत्तरदायी नहीं होगा यदि विद्युत प्रदाय व्यवस्था प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, सैनिक विद्रोह, गृहयुद्ध, दंगे, आतंकवादी हमले, बाढ़, अग्निकाण्ड, हड़ताल, तालाबंदी, तूफान, झंझावत (tempest), तड़ित, भूकंप या दैवीय प्रकोप या केन्द्र/राज्य सरकार की किसी कार्यवाही के कारण घटित हुई हो।
- 11.2 यदि अनुज्ञापिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य किये गये किसी अनुबंध के चालू रहते किसी भी समय, उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग, किसी भी समय विशेष आकस्मिक परिस्थितियों, जैसे कि युद्ध, सैनिक विद्रोह, गृहयुद्ध, दंगे, आतंकवादी हमले, बाढ़, अग्निकाण्ड, हड़ताल (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित किये जाने के अध्यक्षीन), तालाबंदी (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित किये जाने के अध्यक्षीन), तूफान, झंझावत, तड़ित, भूकंप या दैवीय प्रकोप, केन्द्र/राज्य सरकार की कतिपय कार्यवाही, आदि जो उपभोक्ताओं के नियंत्रण में नहीं हैं, के कारण पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संभव न हो पाये तो उपभोक्ता ऐसी परिस्थिति के बारे में अनुज्ञापिधारी को 7 पूर्ण दिवस की लिखित सूचना देकर, सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर संचिदा मांग की आवश्यक एवं शक्य अनुमत सीमा में घटाई गयी मात्रा में विद्युत प्रदाय प्राप्त कर सकेगा। ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां उपभोक्ता विशेष आकस्मिक परिस्थितियों से संबंधित कोई दावा करता हो, वहां अनुज्ञापिधारी का प्राधिकृत प्रतिनिधि इसका सत्यापन करेगा। उपभोक्ता को इस प्रकार की सुविधा केवल उसी दशा में उपलब्ध होगी यदि घटाई गई विद्युत प्रदाय की मात्रा न्यूनतम दस निरन्तर दिवस तथा अधिकतम छः माह के लिये हो। उपरोक्त घटायी गई विद्युत प्रदाय की अवधि को किसी अनुबंध हेतु उपभोक्ता के प्रारंभिक अनुबंधकाल में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि अनुबंध को इस कम मात्रा की कालावधि की बराबर अवधि के लिये आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार की सुविधा के बारे में जिसका उपभोक्ता द्वारा लाभ उठाया जाएगा, की संख्या के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु इसकी कालावधि ऐसे समस्त अवसरों के लिये अधिकतम कुल छः माह के अध्यक्षीन होगी।
- 11.3 ऐसा उपभोक्ता, जो एक कैलेंडर माह के दौरान दस दिवस की निरन्तर अवधि के लिये (जिसमें विद्युत प्रदाय में 00 से 2400 बजे तक की कटौती की गई हो) या इससे अधिक अवधि हेतु किसी अनुबंध के अन्तर्गत, अन्यथा, चूककर्ता न हो तो अनुज्ञापिधारी उपभोक्ता से निम्नानुसार विद्युत प्रभार वसूल करेगा :
- (अ) ऊर्जा प्रभारों की वसूली मापयन्त्र (मीटर) में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर की जाएगी।
- (ब) अन्य प्रभारों (विद्युत शुल्क और उपकरण को छोड़कर) की वसूली उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय दिवस संख्या के आधार पर अनुपातिक दर के अनुसार की जाएगी।
- यह सुविधा केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही प्रदान की जाएगी जिनके संयोजन मापयन्त्रों से युक्त (metered connections) हैं।